न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**<u>प्रभजोत सिह गिल (आर.ए.एस.)</u>**
राजस्व वाद : दावा अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.
मुकदमा नं. — 116/2019 **निर्णय दिनांकः—26.12.2023**

1. जोगेन्द्र सिंह पिसरान गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. बलतेज सिंह पिसरान गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1 मुख्त्यारसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2 अमरजीतकौर पत्नी जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3 गुरतेजसिंह पुत्र श्री जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4 बलदेवसिंह पुत्र श्री जगजीतसिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5 सुखमन्दरकौर पत्नी गुरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6 शांतिकौर पुत्रीयां गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7 परमजीत कौर पुत्रीयां गुरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8 सिमरनजीत कौर पुत्रीयां गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9 तहसीलदार (राजस्व), संगरिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थीगण

<u>उपस्थित</u>
<u>श्री प्रमोद डेलू — अधिवक्ता वादीगण</u>
<u>श्री रविन्द्र कुमार — अधिवक्ता प्रतिवादी 2,5,6,7,8</u>

<u>निर्णय</u>

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थीगण के नाम से तहसील संगरिया के चक 3 डी.एन.डी के खाता सं. 69/54 व 70/55 खाता मुखत्यारसिंह जमाबंदी संवत 2071–74 में कुल 5. 313है. में से 1.771है. कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित है। उक्त खाता की जमाबंदी संलग्न है। चक नं. 3 डी.एन.जी. के खाता सं. 69/54 मु.नं. 51 के किला नं. 16 में स्थित प्रार्थी की ढाणी में आने जाने के लिए वर्तमान में प.नं. 188/129 मु.नं. 51 किला नं. 17,24 व 16,25 के मध्य 10–10 फुट यानि कुल 20 फुट रास्ता चालू है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी मुखत्यारसिंह जो कि प्रार्थीगण का सगा चाचा है, ने पूर्व में कृषि भूमि बंटवारे के समय राजीनामा के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में छोड़ा था जिसकी पंचायत में लिखा पढ़ी भी हुई थी। उक्त राजीनामा अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि व ढाणी में आने जाने के लिए वर्तमान में उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।

प्रतिवादी सं. 1,3,4 के हाजिर नहीं आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2,5,6,7,8 द्वारा चक 3 डीएनजी के प.नं 188/129 के मु. नं. 51 के कि.नं. 17,24,16,25 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है, कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार (राजस्व), संगरिया से मौका रिपोर्ट ली गई।

इस संबंध में तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 पर गौर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उक्त रास्ता पूर्व में भी उपयोग में लिया जाता रहा है। जो अब अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया गया है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण को कटान रास्ते से अपने खेत व ढाणी तक पहुंचने का सबसे नजदीकी रास्ता है। कटान रास्ता प.नं. 188/130 के किला नं. 1 से 5 में कायम है।

इसलिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार संगरिया को आदेशित किया जाता है कि चक 3 डीएनजी के प.नं. 188/129 के मु.नं. 51 के किला नं. 17,24,16,25 के मध्य कुल 10–10 फुट कुल 20 फुट किला नं. 17 व 24 में पूर्व की सीमा के साथ 10 फुट व किला नं. 16 व 25 के पश्चिम के साथ 10 फुट रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के पश्चात रास्ते को खुलवाएं तथा प्रार्थीगण से इस जमीन की डीएलसी की 2 गुना राशि जमा करवाएं।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(प्रभजोत सिह गिल)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया